RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 31 जनवरी, 2012 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 8, अंक : 8

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय जाड़े का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। आशा की जाती है कि अब 4/5 दिन में जाड़ा कम हो जायेगा। वैसे मौसम आलू की फसल के लिए अच्छा ही बनता जा रहा हैं। बीच–बीच मे दो तीन दफा बारिश जरूर हुई है, कही ज्यादा कही कम। जाड़े की इस बारिश का नतीजा आलू की फसल पर अच्छा ही माना जा रहा है। यह जरूर है कि कुछ जगहों पर आलू के खराब होने के समाचार भी आ रहे हैं, परन्तु इसकी मात्रा इतनी कम है कि उसे गिनना बेकार ही लगता है।

कुछ जगहों पर झुलसा रोग लगने की भी शिकायत आई है परन्तु यह किस मात्रा में है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इससे लगता है कि हानि न के बराबर है। कुछ जगहों पर जहाँ झुलसा रोग लगा था वहाँ पर फिर से पौधों के हरे होने के समाचार भी मिले हैं।

पूरी तरह से देखा जाए तो अभी तक की स्थिति में पिछले वर्ष से आलू का उत्पादन अधिक नजर आता है। वैसे सही मात्रा का पता 20 फरवरी, 2012 तक ही लग पायेगा। हमारी अपने सदस्यों को सलाह है कि वह शीतगृह भरने के सम्बन्ध में जरा भी परेशान न हो, करीब–करीब सभी शीतगृह

भर जाने चाहिए, जो शीतगृह खाली भी रह जायेंगे वह किसी विशेष कारणों से रह सकते हैं अन्यथा आलू की कमी नहीं लगती। यहाँ पर हम आपका ध्यान इस बात पर भी आकर्षित करना चाहते हैं कि आलू पर लोन न दें। अधिक मात्रा में भन्डारण हो जाने के कारण भविष्य में आलू के भाव बहुत अधिक बढ़ने की सम्भावना नहीं है अतः आपके द्वारा दिया गया लोन व आलू फँस सकते हैं, यानि कि भन्डारणकर्ता शीतगृह से भाड़ा व लोन देकर माल छुड़ाने ही न आये। यदि लोन देना ही पड़े, तो उन बोरों को दे जिन बोरों में भरकर माल आपके ही शीतगृह में आ जाए। इसमें भी यह ध्यान रखें कि जब तक आपका किसान आपके द्वारा दिये गये बोरों में आलू लाये तब तक आपका शीतगृह पूरी तरह न भर जाये और फिर आपके बोरों में भरा हुआ आलू रखने की जगह ही न बचे।

हम यह भी सलाह देना चाहते हैं कि पल्लेदारों का इन्तजाम बहुत मजबूत करके रखियेगा। जरा भी चूक से पल्लेदार भाग जाते हैं और उस वक्त अधिक पैसा खर्च करके भी भन्डारण सही नहीं हो पाता और प्रायः शीतगृह खाली रह जाता है। जब से ट्रैक्टर से आलू खुदाई शुरू हुई है आलू बहुत तेजी से शीतगृहों में आने लगा है और शीतगृहों का भन्डारण करने का समय और शीतगृहों के आये हुए आलू को शीतगृह कक्षों में रखने का बहुत कम समय मिल पाता है। बीच में होली का त्योहार भी पड़ रहा है, इसका भी ध्यान रखें। इन दिनों में पल्लेदारों की विशेष समस्या उठ खड़ी होती है।

किसान अधिकार पत्र :

किसान अधिकार पत्र को हम वर्ष 2008 के जनवरी अंक में प्रकाशित कर चुके हैं। सरकार द्वारा निर्देशित किसान अधिकार पत्र को अपने शीतगृहों में ऐसी जगह चिपका कर जरूर लगाए जिससे किसी को भी उसे पढ़ने मे असुविधा न हो। किसान अधिकार पत्र प्रदर्शित करना कानूनी बाध्यता है। किसान अधिकार पत्र इस प्रकार है :–

शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियम अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत भण्डारणकर्ताओं को शीतगृहों में भण्डारित आलू के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकार हैं :–

1. शीतगृह में भण्डारण हेतु आने वाले आलू के लिए पूर्व में निर्धारित बुकिंग व्यवस्था लागू रहेगी तथा भण्डारणकर्ता निर्धारित आरक्षण शुल्क देकर शीतगृह में स्थान सुरक्षित करा सकता है। भण्डारणकर्ता को शीतगृह स्वामी द्वारा जमा किए गये माल एवं जमा किए गये आरक्षण शुल्क को रसीद/पर्ची पर अंकित करना होगा। जमा किए गये आरक्षण शुल्क को माल की निकासी के समय कुल भण्डारण प्रभार में से कम कर दिया जायेगा।

2. भण्डारणकर्ता भण्डारण प्रभार के अतिरिक्त शीतगृह परिसर के शेड में माल उतारने के बाद अन्य कोई चार्ज (ढुलाई, पल्लेदारी आदि) नहीं देंगे।

3. भण्डारकर्ता अपने माल की तौलाई कम से कम 10 प्रतिशत रखते समय तथा वापस लेने के समय करा सकते हैं एवं शीतगृह में अपने माल की समय–समय पर चेकिंग/निरीक्षण भी कर सकते हैं।

4. आलू के सापेक्ष कोई ऋण लेते हैं तो उनको ब्याज दर स्टेट बैंक परिचलित ब्याज दर के ½ प्रतिशत से अधिक अथवा अधिकतम 15 प्रतिशत इनमें जो कम हो शीतगृह स्वामी द्वारा लिया जायेगा। यदि कोई शीतगृह स्वामी इससे अधिक ब्याज लेता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. भण्डारणकर्ता भण्डारण प्रभाव एवं भण्डारण रसीद देकर अपने द्वारा जमा कराए गये माल का परिदान (वापसी) ले सकता है। भण्डारणकर्ता समय–समय पर आंशिक रूप में आवश्यक किराया देकर परिदान ले सकता है जिसके लिए प्रत्येक वापसी की रसीद पर पृष्ठांकन किया जायेगा।

6. प्रत्येक शीतगृह में एक शिकायत पुस्तिका रखी जायेगी जिसमें भण्डारणकर्ता अपने सुझाव/शिकायतें दर्ज कर सकेंगें।

प्रत्येक शीतगृह स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह भण्डारणकर्ताओं के उपरोक्त अधिकारों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि कोई शीतगृह स्वामी भण्डारणकर्ताओं को इन अधिकारों से वंचित करता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भण्डारणकर्ता अपनी शिकायत निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दूरभाष संख्या : 0522–2623277 पर दर्ज करा सकेंगे।

(आर.के. मित्तल)
सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

बीमा सम्बन्धी :

आपको सलाह दी जाती है कि आलू के सड़ने का बीमा ज्यादा से ज्यादा मार्केट रेट पर कराये जिससे आपको क्लेम मिलने में आसुविधा न हो।

FOES का बीमा याने Failure of Eletricity Supply यानि बिजली फेल हो जाने पर आलू सडने का बीमाः

यह बीमा सोच समझ कर करवाये। इस बीमे में बीमा कम्पनियाँ रेट तो अनाप–शनाप चार्ज कर लेती हैं परन्तु जहाँ तक हमारी समझ में आता है इस बीमे के अन्तर्गत कोई क्लेम नहीं मिल सकता। बीमा कम्पनी का बिजली फेल होने का मतलब होता है कि बिजली ग्रिड फेल होना और बिजली की ग्रिड कभी फेल नहीं होती है और यदि कभी फेल होती भी है तो बहुत ही कम समय के लिए। उतने कम समय में कभी भी आलू सड़ नहीं सकता। इस लिए यह बीमा करवाते समय अपने स्तर पर पूछताछ अवश्य कर लें।

फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स आथॉरिटी Food Safety & Standards Authority of India द्वारा रजिस्ट्रेशन व लाइसेंसिंग :

केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा शीतगृहों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि शीतगृहों को Food Safety & Standards Authority of India का लाइसेंस लेना और अपने आपको रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है परन्तु हमारे विचार से यह कानून शीतगृहों पर लागू नहीं होता। जहाँ पर कि मिल्क चिलिंग यूनिट 50000 लीटर दूध प्रतिदिन ठंडा करने के यूनिट न लगे हो या जिनके पास मीट प्रोसेसिंग यूनिट न लगे हो जो 500 किलो मीट प्रतिदिन से ज्यादा मीट प्रोसेस करते हो, वहाँ यह लाइसेन्स जरूरी नहीं। हमारे मत के आनुसार यह कानून खाद्य पदार्थों को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाले यूनिटों पर, फूड बिजेनस ऑपरेटर पर, वेजिटेबल आयल प्रोसेसिंग यूनिट पर या फिर कसाई घरों पर ही लागू होगा। इस सम्बन्ध में यदि आप पर कोई दबाव पड़ता है तो आप अधिकारियों को फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स एक्ट का हवाला दे सकते हैं।

वेयर हाउस ऐक्ट 2007 के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि भारत सरकार ने एक वेयर हाउस ऐक्ट 2007 पास किया था। National Horticulture Board अब एक मैनुअल तैयार कर रहा है जिसे आप उनकी वेब साइट पर भी देख सकते है। इस मैनुअल के द्वारा शीतगृह भी वेयर हाउस ऐक्ट के अन्तर्गत आ जायेंगे और उनकी कोल्ड स्टोरेज रसीद को पक्की रसीद मान लिया जायेगा, जिसके द्वारा उक्त रसीद के अन्तर्गत रखा हुआ माल किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को ट्रांसफर किया जा सकेगा। यदि भन्डारणकर्ता इस रसीद पर कोई लोन लेना चाहेगा तो भी उसे बहुत कम ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। इस सम्बन्ध में नए मैनुअल को देखकर जिसे कि National Horticulture Board ने तैयार किया है, हमने एक पत्र National Horticulture Board को लिखा जिसकी कॉपी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

Federation : 243//2012 January 20, 2012

Email : mdnhb@yahoo.com.

c.c. : r.vaidyanathan@cii.in,

Dear Sir,

Reference : Cold Storage Warehouse Manual Draft Meeting on January 23rd, 2012

We have come to know from CII that you are going to hold a meeting on January 23rd, 2012 on the above subject. We got this information quite late. Had we been informed directly, we could have studied in further details as this subject was definitely pertaining to cold storages.

While preparing the Manual, please consider the following points :

1. This Manual should not be applicable to the cold storages of the States where there is already Cold Storage Act existing like the States of Uttar Pradesh and West Bengal. In the Cold Storage Act, Cold Storage Receipt has been very well covered.
2. Firstly the cold storages should not be roped in Warehouse Act 2007. If at all it is unavoidable, then the Manual should be very short and simple.
3. Cold Storage is non-polluting industry, hence should not be forced to produce No Objection Certificate from Pollution Control Boards.
4. Cold Storages do not require Fire Safety Certificate as normally the height of a cold storage is less than fifteen metres. They are never multi-storied buildings. Divisions are made within one roof just like different shelves in one almirah. Fire Safety Certificates are issued for multi-storied buildings above fifteen metre height.
5. It shall be out of range to complete these formalities for the cold storages constructed before the start of the Subsidy System or those who have not availed the Subsidy from National Horticulture Board.
6. We are also not clear that is it obligatory on the part of cold storages to get the accredition or not.

You are requested to consider these points before finalizing the draft.

Thanking you,

For **FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA**

Sd/-

(MAHENDRA SWARUP)

PRESIDENT

. . . शेष पृष्ठ 11 पर

फार्म 4

❑ प्रकाशन स्थान	:	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशन अवधि	:	मासिक
❑ मुद्रक का नाम	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशक का नाम	:	महेन्द्र स्वरूप
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ जो व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी हो तथा जो समस्त पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

मैं महेन्द्र स्वरूप एततद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दिए हुए विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर

महेन्द्र स्वरूप

पृष्ठ 8 का शेष . . .

इस पत्र के उत्तर में हमें मेनेजिंग डॉयरेक्टर National Horticulture Board का उत्तर मिला है जो इस प्रकार है :

md nhbdelhi<mdnhb@yahoo.com>
To: "coldstorage."<coldstorage@sify.com>

Dear Shir Mahendra Swarup ji,

Please find a copy of draft manual for ready reference. I believe the system of accreditation is not mandatory. However, it is learnt that finance against negotiable slip under WDRA will enable receipt holder to access low cost finance, say @ 7% per annum or so. Points raised by you will be duly discussed. Please get us a copy of provisions under which cold storages in Uttar Pradesh State are covered by cold Storage receipt system.

Regards,

Bijay Kumar

यह लगता है कि वेयर हाउस ऐक्ट 2007 के अन्तर्गत आना उन शीतगृहों के लिए अनिवार्य होगा जो शीतगृह अपनी रसीद को ट्रॉसफरेबिल करवाना चाहेंगे। अभी यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के शीतगृह वेयर हाउस ऐक्ट 2007 के अन्तर्गत आते हैं कि नहीं क्योंकि इन दोनो स्टेट में अलग ऐक्ट बना हुआ है और रसीदे ट्रॉसफरेबिल है।

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की वार्षिक मीटिंग के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि इस वर्ष फेडरेशन की मीटिंग हर वर्ष की भाँति मई में न होकर अप्रैल, 2012 के अंतिम सप्ताह में होने की सम्भावना है। स्थान व सही तारीख हम अगले माह की पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। यह मीटिंग सम्भवतः ग्रेटर नोयडा में आयोजित की जायेगी। इस मीटिंग में कुंडली, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद आदि स्थानों से लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था का भी विचार किया जा रहा है। अतः हमारे सदस्य इस मीटिंग के लिए पहले से मन बना लें और 25 अप्रैल से 30 अप्रैल की तारीखें सुरक्षित रखें।

शीतगृह की पक्की रसीद के सम्बन्ध में :

जब किसी भन्डारणकर्ता का माल आपके शीतगृह में आता है तो उसे उस माल की पहुँच के साथ–साथ एक रसीद भी देनी होती है। यह उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज रसीद कहलाती है और इसे प्रपत्र संख्या 7 पर देना अनिवार्य है। कृपया यह भी ध्यान रखें कि यह रसीद ट्रॉंसफरेबिल transferable भी होती है। अर्थात कोई भी भन्डारणकर्ता अपनी इस रसीद को किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकता है और जिस व्यक्ति के नाम भी यह ट्रांसफर की जाती है वह व्यक्ति या कम्पनी भन्डारित माल के मालिक बन जाते है। चूकि अगले माह से भन्डारण कार्य नए सीजन के लिए शुरू होने वाला है अतः इस रसीद का प्रारूप हम यहाँ फिर प्रस्तुत कर रहे है। इसे हम अपनी पत्रिका मे मार्च, 2011 में भी प्रस्तुत कर चुके हैं।

प्रपत्र संख्या – 7
कोल्ड स्टोरेज रसीद

क्रम–संख्या
कोल्ड स्टोरेज का नाम तथा स्थान
कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस संख्या
किरायादाता/जमाकर्ता का नाम व पता
कृषि उत्पाद जिसका ब्योरा निम्नलिखित है प्राप्त हुये

नाम व पता	वर्ग अथवा किस्म	मानक अथवा श्रेणी	पैकेटों अथवा ढ़ेरियों की संख्या	भार अथवा माप इत्यादि के आधार पर शुद्ध परिमाण (कि.ग्रा. में)

- ❑ भण्डारण की तिथि :–
- ❑ कृषि उत्पाद की दशा :–
  1. उत्तम।
  2. किंचित न्यून उत्तम।
  3. औसत
- ❑ स्टोर करने की दर :–

क्रमशः

- ❑ स्टोर करने के समय कृषि उत्पाद बाजार की दर :–
- ❑ यह रसीद उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन जारी की जा रही है।

दिनांक

किरायादाता/जमाकर्ता
अथवा उसके प्राधिकृत
अभिकर्ता का हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान

लाइसेंसधारी अथवा उसके
प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

आज्ञा से
रवि मोहन सेठी, सचिव

विद्युत सम्बन्धी :

नवम्बर 2011 अंक का शेष

20. सिस्टम लोडिंग चार्जेज :

तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा धन की कमी का बहाना लेते हुए वर्ष 1989 में प्रथम बार कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए सभी उपभोक्ताओं के ऊपर सिस्टम लोडिंग चार्जेज नाम का मद जबरदस्ती लगाया गया था तथा कहा गया था कि इस धनराशि का उपयोग सिस्टम को उच्चीकृत (upgradation) करने में किया जायेगा। इस कार्यालय ज्ञाप में तत्कालीन विद्युत अधिनियम 1910 की किसी भी धारा का कोई उल्लेख नहीं था। यह कार्यालय ज्ञापन अवैध है तथा अधिनियम के विपरीत है क्योंकि –

(क) विद्युत 1910 व विद्युत अधिनियम 2003 में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गए सभी व्यय विद्युत दर सूची (टैरिफ) के द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किये जायेंगे।

(ख) विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 एवं विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियमावली 1984 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी उपभोक्ता को संयोजन देने के लिए सिस्टम में किसी बदलाव की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उस बदलाव के लिए आवश्यक धन की माँग प्राकलन के माध्यम से करेगा।

(ग) उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत गठित नियामक आयोग द्वारा नोटीफाइड विद्युत वितरण संहिता 2002 एवं संशोधन तथा विद्युत वितरण संहिता 2005 एवं संशोधन में स्पष्ट प्राविधान है कि अनुज्ञप्तिधारी सिस्टम लोडिंग चार्जेज से सम्बन्धित जो भी आदेश जारी करेगा उसका अनुमोदन आयोग से लेगा, परन्तु किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

(घ) Appellate for electricity, New Delhi ने नई 2007 में महाराष्ट्र राज्य के एक वाद में सिस्टम लोडिंग चार्जेज (सर्विस लाइन चार्जेज) को गलत करार देते हुए कहा है कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस धनराशि की वसूली आयोग से अनुमोदित विद्युतदर सूचियों (टैरिफ) के माध्यम से की जा रही है। अतः यदि सिस्टम लोडिंग चार्जेज (सर्विस लाइन चार्जेज) वसूल करने को सही करार दिया जाता है तो यह धनराशि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं से दो बार वसूल की जायेगी।

उत्तर प्रदेश नियामक आयोग द्वारा इस निर्णय के बाद भी सितम्बर, 2007 में सिस्टम लोडिंग चार्जेज की वसूली करने के लिए कास्ट डाटा बुक 2007 के माध्यम से लाइसेन्सी को अधिकृत कर दिया गया जोकि गलत है।

(ङ) हमारे द्वारा सूचना का आधार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त की गई है उसके अनुसार वर्ष 2007 तक किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से ना तो कोई अनुमोदन प्राप्त किया गया है, तथा ना ही आयोग द्वारा किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को इससे सम्बन्धित कोई अनुमोदन दिया गया है।

<u>नोट :</u> उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन जैसे सभी उपभोक्ता जिन्होंने कभी सिस्टम लोडिंग चार्जेज जमा किया हो अर्थात् जिनका संयोजन 1989 अथवा उसके बाद हुआ हो, सिस्टम लोडिंग चार्जेज से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराती है तो हमारी कम्पनी द्वारा इस मद में वसूल की गयी धनराशि को वापस कराने के लिए विधिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।

21. विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग एवं विद्युत चोरी

विद्युत चोरी करना एक संज्ञेय अपराध है यदि कोई उपभोक्ता इस अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने के साथ–साथ उसको जेल भेजने एवं दण्ड वसूल करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्राप्त है यदि किसी भी उपभोक्ता के साथ ऐसा घटित होता है तो शायद वे आर्थिक क्षति की भरपाई तो कर सकते है परन्तु सामाजिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति की भरपाई शायद कभी नहीं कर पायेंगे।

परन्तु संज्ञान में यह भी आया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जानबूझ कर प्रताड़ित करने की नियत से उपभोक्ताओं को विद्युत चोरी में फँसाया जाता है तथा गलत रिपोर्ट भर कर

सम्बन्धित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाती है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक उपभोक्ता को सर्तक रहने एवं निम्न सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है।

(1) जाँच टीम के अधिकारियों का आई. कार्ड अवश्य देखें एवं अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता अपने पास अवश्य नोट करें।

(2) जाँच टीम द्वारा भरी गयी रिपोर्ट में जो अनिमितताएँ लिखी गयी है वे सही है अथवा नहीं।

(3) आपके संयोजन से जुड़े मोटर एवं अन्य संयंत्रों के विद्युत भार का सही विवरण लिखा गया है अथवा नहीं।

(4) आपके मीटर की रीडिंग, डिमाण्ड एवं सीलों का सही विवरण रिपोर्ट में लिखा गया है अथवा नहीं।

(5) मीटर में छेड़छाड़ करना, स्वीकृति विधा के अतिरिक्त अन्य विधा हेतु विद्युत का प्रयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–126 के 'अन्तर्गत विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग' की श्रेणी में आता है जो एक दण्डनीय अपराध है।

(6) जाँच टीम द्वारा भरी गयी रिपोर्ट से सहमत नहीं होने की दशा में उपभोक्ता रिपोर्ट से हस्ताक्षर करने से पूर्व असहमत होने का कारण अवश्य लिखें। यह उपभोक्ता का मौलिक अधिकार है। इसका अवश्य उपयोग करें।

(7) जाँच टीम द्वारा यदि विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत सीधे विद्युत चोरी का केस (बिना मीटर के) धारा–135 के अन्तर्गत बनाया जाता है तो उपभोक्ता बिन्दु 1 से 6 के अतिरिक्त निम्न कार्यवाही की प्रति अधिकारियों से प्राप्त कर लें।

   (i) विभाग द्वारा ली गई फोटो तथा वीडियो की कापी

   (ii) विभाग द्वारा जो भी केस से सम्बन्धित दस्तावेज, सामग्री आदि जब्त की जायेगी उसकी फर्द की कापी।

   (iii) तैयार की गयी सीलिंग प्रमाण पत्र/रेड रिपोर्ट में लिखे गये किसी तथ्य से यदि आप असंतुष्ट हो तो असहमति का कारण अवश्य लिखें। यह आपका मौलिक अधिकार है।

   (iv) जाँच के समय उपभोक्ता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को जांच टीम के साथ अवश्य रखें जिससे कि जाँच टीम कोई ऐसा सबूत अथवा सील आदि से छेड़छाड़ न करने पाये जिससे कि उपभोक्ता के ऊपर चोरी का केस सिद्ध हो सके।

. . . शेष पृष्ठ 20 पर

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA
Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Swapan Kumar Mondal** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

उत्तर प्रदेश :

आलू के उत्पादन की समीक्षा करते समय हमें पूरे उत्तर भारत में हो रहे जाड़े के मौसम के बारे मे भी विचार करना होगा। इस वर्ष अर्थात दिसम्बर, 2011 व जनवरी, 2012 में मौसम आलू की फसल के लिए न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे देश में आलू की फसल के लिए अनुकूल रहा है। जाड़ों की वर्षा आलू के लिए सदैव ही अच्छी रहती है, यदि वह बहुत अधिक मात्रा में न हो। इस वर्ष कहीं–कहीं तो अधिक वर्षा अवश्य हुई है अपितु सब जगह जितनी भी वर्षा हुई है आलू के लिए लाभदायक ही रही है। अधिक वर्षा तभी मानी जाती है जब आलू के खेतों में बनी नालियाँ पूरी तरह भर जाये और उसके बाद भी पानी रुका रहे। ऐसी दशा में उत्पादित आलू सड़ जाता है। ऐसी अवस्था कुछ जगह पर जरूर हुई है पर वह न के बराबर है।

हमने विभिन्न प्रदेशों से सम्पर्क स्थापित करने के बाद यह ज्ञात किया है कि सभी जगह आलू की फसल गत वर्ष से कम से कम 10 से 12 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। इतना ही क्षेत्रफल हर प्रदेश में आलू की बुआई के लिए बढ़ा है। अतः शीतगृहस्वामियों को इस वर्ष भन्डारण की समस्या नहीं आनी चाहिए। स्थिति का सही अनुमान 20 फरवरी, 2012 तक लग पायेगा।

शीतगृहस्वामियों को सलाह दी जाती है कि वह वस्तुस्थिति को स्वयं खेतों में जाकर अवश्य पता करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। एम.सी.एक्स. पर आलू के रेट पर न जाये। आलू पर लोन बहुत सोच समझ कर दें। इतना अधिक आलू भन्डारित हो जाने के बाद इस वर्ष फिर निकासी की समस्या खड़ी हो सकती है।

पृष्ठ 15 का शेष . . .

नोट : यदि मीटर 95 प्रतिशत भी धीमा चलता हुआ पाया जाता है और बाकी सभी चीजें सही पायी जाती है तो उपभोक्ता के ऊपर चोरी का केस नहीं किया जा सकता। अतः उपभोक्ता जाँच समय बिना घबराये हुये जाँच टीम को सहयोग करें परन्तु यदि विभाग द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है तो इसकी सूचना अपने एसोसिएशन को दें तथा भीड़ इकट्ठा कर ले जिससे अधिकारी आपके खिलाफ कोई गलत कार्यवाही न करने पाये।

22. परेशानियाँ/शिकायतें जिनके सम्मुख आपको दाखिल करनी है :

(क) विद्युत बीजकों में त्रुटियों के सम्बन्ध में।

(1) यदि उपभोक्ता के किसी माह के विद्युत बीजक में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उपभोक्ता उस बीजक का पूर्ण भुगतान करके सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को लिखित रूप में सूचित करेगा तथा यह भी उल्लेख करेगा कि धनराशि, जो त्रुटि से सम्बन्धित है, उसको इस आशय के साथ (under protest) जमा कर रहा है कि विद्युत वितरण संहिता के अन्तर्गत 7अधिशासी अभियन्ता द्वारा उस त्रुटि का समाधान करते हुए अधिक जमा धनराशि का समायोजन अगले माह के बिल में अवश्य कर दिया जायेगा।

. . . शेष अगले अंक में

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित